

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा**

**पीलीबंगा अधिकारी :- उमा मित्तल** आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 122/2025

पवित्र पुत्र रिछपाल ज्याणी जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

वादी

ब न म

1. रिछपाल पुत्र कृष्णलाल जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

प्रतिवादीगण

**दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा**  
**डिक्री**

दिनांक :- 18/08/25

वादी की ओर से श्री जितेन्द्र मण्डा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से श्री चैन सिंह शेखावत अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर. ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि -

**वादी को** चक 5 एलकेएस बी के खाता सं. 71/55 के प.नं. 11/281 (14) किला नं. 13/1, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 की 3.099 हैक्. नहरी मय रास्ता खातेदारी में 2/3 हिस्सा में से 1.012 कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 18/08/25..... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



3  
( उमा मित्तल )  
आर.ए.एस.  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा

